


मुन्तकिली प्रकरण सं० 26/2017 रहमान खां पुत्र भागू खां जाति
मुसलमान निवासी 13 एम एल डी(बी) तहसील घड़साना बनाम 1-
गुलाम नबी उर्फ भागू खां पुत्र मीठू खां जाति मुसलमान निवासी 13 एम
एल डी(बी) तहसील घड़साना 2-उपपंजियक घड़साना 3-तहसीलदार
घड़साना 4-जीन्दा पुत्री भागू खां

25.09.2017




प्रार्थी के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित मुकदमा सं० 21/2017 अनवानी रहमान खां आदि बनाम गुलाम नबी आदि मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र पेश किया गया है और अब प्रार्थी इस मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र खारिज किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है।

चूंकि अब प्रार्थी मुन्तकिली प्रा० पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस किया है। इसलिए मुन्तकिली प्रा० पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1795
57017


(ज्ञाना सम)
ज़िला कलैक्टर
श्रीगंगानगर